ई–टेण्डर (निविदा विज्ञप्ति)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों के विवाह योग्य कन्या/विधवा/ परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से समाज में सर्वधर्म–समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु योजना संचालित है। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्रियों की गुणवत्ता और मूल्य के निर्धारण हेतु निविदा सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आनलाइन (http:/etender.up.nic.in) बिजनौर के माध्यम से पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से दिनांक 02.09.2019 से 09.09.2019 समय दोपहर 12.00 बजे तक ई–टेण्डर आमंत्रित किया जाता है, निविदा की नियम व शर्तें व अन्य प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निविदा प्रपत्र रु0 500/– की धनराशि का भुगतान जिला समाज कल्याण अधिकारी बिजनौर के पदनाम से डी0डी0, जो बिजनौर में भुगतान हेतु निर्गत हों, के द्वारा करते हुए निर्धारित तिथि तक प्राप्त किया जा सकता है तथा डाली गयी निविदा का प्रिंट आउट/हार्ड कापी सीलबन्द लिफाफों में दिनांक 09.09.2019 के दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा निविदा हेतु टेक्निकल बिड एवं फाइनेंशियल बिड अलग–अलग देना अनिवार्य है। आनलाइन प्राप्त समस्त निविदा दिनांक 09.09.2019 को दोपहर 12.30 बजे निविदा/क्रय समिति के समक्ष मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विकास भवन बिजनौर में खोली जायेगी।

(बद्री विशाल)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
बिजनौर ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर ।

पत्रांक C-1828 /स0क0/मु0सा0वि0यो0/2019–20 दिनांक 2 सितम्बर 2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :–

1.निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2.जिलाधिकारी, बिजनौर ।
3.मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर ।
4.जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ कि निविदा को एन0आई0सी0 बिजनौर की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5.सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए रुपये 6000/– (रू0 छः हजार मात्र) की सीमा के अन्तर्गत भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बिजनौर।